बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

Bihar Administrative Service Association

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800001
(पंजीयन संख्या–633 / 2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो0–9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
*खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो0–9771048046
Email: siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
सयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 24 दिनांक 26-9-2019

To,

The Assistant Inspector General of Regisration,
Patna Division, Govt. of Bihar, Patna.

Subject:-Parawise comment on objection filed by Complainant Sri Anil Kumar, Dt.-16.09.2019.

Sir,

With reference to above subject our comment on objection filed by Sri Anil Kumar, Dt.-16.09.2019 are as follows :-

Sl. No.	Objection of Complaint	Comment on objection
1	Even reply of BASA representatives filed on 12.09. 2009 before you are not official Pad of Bihar Administrative Association.	It is relevant to mention here that in Registration 633/03 it is mention Bihar Administrative Service Association. (BASA) Hindi translation of BASA is 'बिहार प्रशासनिक सेवा संघ' Central Committee BASA has taken resolution in its meeting on 14.07.2019 to include 'बिहार प्रशासनिक सेवा संघ' in registration and request is given to I.G. Registration for same. More over 'बिहार प्रशासनिक सेवा संघ' is used on pad many-many year back. Copy is being annexed as annexure-I. More over we have add "Bihar Administrative Service Association" on our letter Pad.

2	No Comment	It requires no Comment.
3	There is Difference between Practice and Specific Rules of Law. Ignorance of facts can be excused but ignorance of law can not be excused. The date of signature of auditor in audit report as per annexure of their reply (10.07.2017) itself shows that account was audited for six financial years in July, 2017 only and as per rule, the copy of audited reported must have been filed annually with Registration Deptt. which has not done.	It is relevant to mention here that in 2011 and in previous year same process was followed but no objection was filed/raised by the Complainant while he himself was Joint Secretary of BASA. But now he is blaming BASA for his Personnel benefit reason best known to him.
4	There is Difference between Practice and Specific Rules of Law. Ignorance of facts can be excused but ignorance of law can not be excused. The date of signature of auditor in audit report as per annexure of their reply (10.07.2017) itself shows that account was audited for six financial years in July, 2017 only and as per rule, the copy of audited reported must have been filed annually with Registration Deptt. which has not done.	It is already as explained in above para 3.
5	This kind of error is not acceptable in the financial matters. In fact, they have not responded to my earlier correspondence. Even their reply does not explain the things in black and white.	It is wrong submission of the complainant as it was not shown to the Complainant on meeting dt.-02.05.2018 but he did not. complaint and suppressed this fact before this court.
6	The statement of BASA officials is false and it can be verified by examination of proceeding register about their claim.	It is pertinent to mention here that the members Present in meeting can explain that Complainant was present there but could not say any thing the reason best known to him.

7	They are misleading the court and their assertion is false. They don't issue allotment letter of booking of BASA bhawan even to his members. Perusal of para 9 of their reply speaks a lot about booking amount for same building for Rs. 1000/- to Rs. 1,00,000/- in the name of maintenance through donation.	It is also relevant to mention here that the members have donating the aforesaid amount to BASA and they have no objection so why Complainant have any problem.
8	To prove this allegation, para 9 of their reply is self-speaking. Further, you are requested to verify the details of booking record through it's cash book which has not been annexed in their reply.	It is already explained in earlier paragraph.
9	They did not issue any allotment letter to me regarding allotment of BASA Bhawan despite several reminders neither they allowed me to deposit the requisitioned fee for the same. This shows their misrule in management of properties of BASA.	It is also relevant to mention here that complainant is telling lie. For some vested interest reason best known to him.
10	If the have not let out the govt land to any one then why they are showing income from Hoarding head in their cash book, audit report. Is it in form of donation? It sho1quld be examined by because it exceeds more than Rs. 25,00,000/-	It is already discussed in detail in reply as well as in preceding paragraph.
11	It has been explained in above para.	do
12	The date of issue of PAN number should be verified because they have responded only after the written objections raised before them by me in previous years.	do

13	Firstly, there has been no amendment has ever been made in BASA by laws as per rule 14 read with section 12 of society registration act, 1860 in the manner prescribed by law of land. these facts can be verified by examining the proceeding register of given period. The detailed procedure for amendment of bye laws has been produced in para 16 of this letter which you may like to examine in the context of their claim by verifying the proceeding regtister. Secondly, Rule 3(b)(ii) is extra ordinary provision for calling AGM. The same office bearer, namely President, is holding the office of BASA for last 12 years during which only two AGM has ben convened and only twice, election was held. Thirdly, Rule 3(b) is mandatory provision which they are not following and what to say about Rule 2(b)(ii), which in itself is not mandatory in nature. Fourthly, Requesting the competent court for legal remedy is not a illegal act which I am following and result is that before filling their reply in your court, they have been compelled to announce the date of election although after lapse of 15 months of their defined tenure.	It is pertinent to mention here that it is again false & fabricated allegation of the complainant and nothing more. It is Central Committee who decide the date of AGM.
14	They have never responded to any letter/representation of the undersigned to fulfill their constitutional obligation. That is enough to show their faith in democratic norms.	It is relevant to mention here that the Complainant has given chance to say if any objection in central committee meeting on 01.09.2019 but he did not avail the said opportunity now the complainant is doing everything for his personnel benefit, the reason best known to him. (ANNEXURE-II)
15		It is relevant to mention here that again the allegation of the complainant is false & fabricated to make out a false case true.

16	They have not followed the law of land and it can be verified by examining the adopted procedure of amendment by inspecting the proceeding register of their office.	It is relevant to mention here that again the allegation of the complainant is false & fabricated.
17	Requesting the competent Court for legal remedy is not a illegal act which I am following and result is that before filling their reply in your court, they have been compelled to announce the date of election although after lapse of 15 months of their defined tenure.	It is pertinent to mention here that it is central Committee who decide the date of gbm It is known to every members of BASA including the complainant.

Association has replied on all issue raised before this court. The complaint itself is malafide acts and deeds of the complainant with a view to disturb the smooth functioning of BASA as such the instant complaint is devoid of any merit and fit to be dismissed with exemplory cost. Other objection issues are not communicated to Association.

26/9/19

Khurshid Anwar Siddiqui
General Secretary,
BASA

Sushil Kumar
President,
BASA

ANNEXURE-I (06 pgs)

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

(पंजीयन-633/2003)

Truth will Triumph

अध्यक्ष
बैद्यनाथ प्रसाद
(बी. एन. प्रसाद)
महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
(बी. के. सिन्हा)

दूरभाष
अध्यक्ष : 2221706 (O) 2590816 (R)
महासचिव : 2286093 (R)
उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R)
कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)

उपाध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
अर्जुन प्रसाद
संयुक्त सचिव
सहादत हसन मन्टू
रजनीश कुमार सिंह
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या - 1 दिनांक 6.01.2

आवश्यक सूचना

दिनांक- 8.1.2005 को संध्या 5.15 पी.एम. बजे केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक संघ भवन में बुलायी गयी है जिसमें सूनामी लहर से जान-माल की तबा एवं संघ के अन्य मुद्दों पर विचार किया जायगा ।

अत: अनुरोध है कि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यगण निश्चित तिथि, स्थान एवं समय पर उपस्थित होने की कृपा करें ।

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

प्रतिलिपि : कार्यकारी अध्यक्ष/ कोषाध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ संयुक्त सचिव/ केन्द्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

दूरभाष :
अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O) / 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

अध्यक्ष
वजीर नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

Truth Will Triumph

पत्र संख्या 54

पटना
दिनांक 16.10.2001

प्रेस विज्ञप्ति

=============

दिनांक 15-10-2001 को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के केन्द्रीय कार्य-
कारिणी की बैठक श्री डब्लू0 एन0 सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । बैठक में
28-10-2000 को सरकार एवं संघ के साथ हुए समझौते के फलस्वरूप मुख्य सचिव द्व
निर्गत पत्र के अनुपालन की समीक्षा की गयी । समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन नहीं हो
कारण सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सरकार को पुनः एक पत्र भेजा जाय,
जिसमें सभी बिन्दुओं के कार्यान्वयन का अनुरोध किया जाय ।

बैठक में सर्वसम्मति से सरकार द्वारा पिछले हड़ताल की अवधि के लिए
उपार्जित अवकाश के बदले वेतन देने के सरकार के फैसले का स्वागत किया गया तथा
सरकार एवं संबंधित विभाग तथा पदाधिकारियों को धन्यवाद देने का निर्णय लि
गया । यह भी निर्णय लिया गया कि जिन पदाधिकारियों को छुट्टी देय नहीं,
ऐसे लगभग 125 पदाधिकारियों को भविष्य में अर्जित होने वाले अवकाश के विरु
उपार्जित अवकाश स्वीकृत कर वेतन भुगतान करने का आदेश सरकार निर्गत करे।
उपाय अध्यक्ष एवं महासचिव करें ।

सरकार से यह भी अनुरोध करने का निर्णय लिया गया कि सभी स
पर प्रोन्नति की प्रक्रिया को सरलीकृत करने, संघ के 5 पदाधिकारियों को जि
पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित करने की कार्रवाई सरकार शीघ्र सुनिश्चित
ताकि पदाधिकारियों का मनोबल बना रहे । सरकार, आला अधिकारी एवं
बीच किसी प्रकार की कटुता उत्पन्न न हो सके और आगे आन्दोलन अथवा
की नौबत न आए ।

16.10.2001
(जी0एल0दास)
महासचिव ।

(डब्लू0एन0 सि
अध्यक्ष)

प्रशासनिक सेवा भवन

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०० ००१

अध्यक्ष : 226623 (R)
महासचिव : 220227 (O), 286865 (R)
कोषाध्यक्ष : 351334 (R)

अध्यक्ष
नरेन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)

महासचिव
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)

Truth Will Triumph

उपाध्यक्ष
फेराक अहमद
अरुण चन्द्र मिश्र

संयुक्त सचिव
अर्जुन प्रसाद
कृष्ण मुरारी शर्मा

कोषाध्यक्ष
केशव रंजन प्रसाद

पत्र संख्या.......................... पटना
दिनांक..............................

ज्ञापांक 54 / पटना, दिनांक 16.10.2001

प्रतिलिपि- सभी हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के सम्पादक/ निदेशक, आकाशवाणी/दूरदर्शन/ब्यूरो प्रमुख, यू०एन०आई०/पी०टी० आई० को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

16.10.2001

(जी०एल०दास)
महासचिव ।

(डब्लू०एन० सिंह)
अध्यक्ष।

ANNEXURE-1 (02 पृष्ठ)

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

TWT

T uth will Trimuph

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

(पंजीयन-633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
(के.एम.शर्मा)
महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
(बी.के.सिन्हा)

अध्यक्ष : 2224282 (O), 2353207 (R)
महासचिव : ~~2286093 (R)~~ 220542।
कोषाध्यक्ष : 2232755 (O), 2262597 (R)

उपाध्यक्ष
अर्जुन प्रसाद
संयुक्त सचिव
सआदत हसन मन्टू
रजनीश कुमार सिंह
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या- 40

दिनांक 6-1-06

प्रेस- विज्ञप्ति

दिनांक 5.1.2006 को श्री नइम अख्तर, बि0प्र0से0 अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा के पुत्र नवीस अख्तर को अपराधियों द्वारा पाटलीपुत्र थाना क्षेत्र के नमस्कार अपार्टमेन्ट से अगवा किये जाने की घटना का संघ ~~विरोध~~ (condemn) करता है तथा यह मांग करता है कि अपहृत नवीस की सकुशल रिहाई के लिए पटना पुलिस टास्क फोर्स बना कर शीघ्र कार्रवाई करें। ~~अब~~ की गयी कार्रवाई की समीक्षा संघ द्वारा दिनांक 7.1.2006 को की जायेगी। तदनुसार आगे कार्रवाई हेतु निर्णय लिया जायेगा।

ह0 -
(कृष्ण मुरारी शर्मा)
अध्यक्ष

ह0 -
(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार सरकार/आरक्षी महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ। वे उनसे अनुरोध है कि नवीस की सकुशल रिहाई हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय आरक्षी अधीक्षक पटना को निदेश देने की कृपा की जाय।

(हस्ताक्षर) 6/1/2006
(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव,

प्रतिलिपि :- निदेशक, आकाशवाणी / दूरदर्शन को सूचनार्थ एवं प्रसारणार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सम्पादक सभी दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी/अंग्रेजी) को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 6/1/2006
(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव,

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

ANNEXURE-1 (06 पृष्ठ)

पत्रांक : 24 दिनांक 1-6-2010

अध्यक्ष

अरूण चन्द्र मिश्र

(M) 9835281295

(M) 9939469410

(R) 0612-2526123

+++

उपाध्यक्ष

* शम्भु नाथ मिश्र

(M) 9431619672

(R) 0612-2288139

* मो॰ एखलाक अहमद

(M) 9934280177

+++

महासचिव

सुशील कुमार

(M) 9431091417

(R) 0612-2271428

+++

संयुक्त सचिव

* राजचन्द्र बड़ियार

(M) 9431093157

* अनिल कुमार

(M) 9431409463

+++

कोषाध्यक्ष

चन्द्र शेखर सिंह

(M) 9334131351

+++

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सोमेश बहादुर माथुर

(M) 9431407901

सेवा में,

माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय,
बिहार।

महोदय,

श्रीमान् को यह अवगत कराते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की अगली आम सभा दिनांक 04.07.2010 को 9.30 बजे पूर्वाह्न में भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना में होना निश्चित हुआ है। आम सभा का उद्घाटन समारोह उक्त तिथि को 10.30 बजे पूर्वाह्न में प्रारम्भ होगा।

अतः सादर अनुरोध है कि इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होकर समारोह को सफल बनाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

1/6/2010

(अरूण चन्द्र मिश्र)

अध्यक्ष

AMMENVICE H II

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

Bihar Administrative Service Association

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800001
(पंजीयन संख्या–633 / 2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अ,
* सुशील कुमार
मो0–9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

सचिव,
*खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो0–9771048046
Email: siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिं
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
सयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

20 दिनांक 1-9-2019

दिनांक–01.09.2019 को केन्द्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम वासा की आमसभा की तिथि पर विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त दिनांक–24.11.2019 को रविन्द्र भवन में आम सभा आयोजित करने पर निर्णय लिया गया। इसकी सूचना सभी जिला के सदस्य एवं पटना मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी को एस.एम.एस. / पत्र के माध्यम से देने पर विचार किया गया।

सदस्यों को बताया गया कि वासा की केन्द्रीय इकाई द्वारा दिनांक–04.08.2019 को दरभंगा जिला में श्री राजीव कुमार, बि0प्र0से0 सम्प्रति जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा का त्याग पत्र देने के संदर्भ में बैठक की गई। बैठक में दूरभाष पर श्री राजीव द्वारा स्पष्ट किया गया कि त्याग पत्र उनका निजी निर्णय मामला है। इस कारण उनके द्वारा जिला ईकाई एवं केन्द्रीय ईकाई से उनके त्याग–पत्र पर कोई चर्चा नहीं किये जाने का अनुरोध किया गया। इस परिस्थिति में जिला इकाई दरभंगा एवं केन्द्रीय इकाई वासा द्वारा श्री राजीव के त्याग–पत्र मामले को संज्ञान में नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया।

श्री अनिल कुमार कोटि क्रमांक–850 / 2011 द्वारा संघ विरोधी किये जा रहे कार्यों के बारे में उपस्थित सदस्यों को विस्तार से बताया गया, इसका विवरणी केन्द्रीय कार्यकारिणी की

ANNEXURE - J

ांक–14.07.2019 को हुई बैठक में दी गई है। आज की बैठक में श्री अनिल कुमार को अपनी बात रखने हेतु आमंत्रित किया गया था, लेकिन श्री अनिल बैठक में भाग नहीं लिए। सभी सदस्यों द्वारा उनके द्वारा संघ विरोधी किये जा रहे कार्यों के लिए खेद व्यक्त किया गया तथा भविष्य में पुनरावृति होने पर पुनः चर्चा करने पर निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि श्री अनिल द्वारा संघ के विरोध में किये गये शिकायत की जानकारी संघ के सभी सदस्यों को दी जायेगी।

BASA के PAN के लिए आवेदन देने हेतु निर्णय लिया गया। PAN No. प्राप्त होने पर Section 12A के अन्तर्गत लाभ लेने हेतु आवेदन देने का भी निर्णय लिया गया।

वर्ष 2003 में BASA का Registration Bihar Administrative Service Association के रूप में किया गया था, लेकिन उक्त वर्ष से अब तक सभी पत्राचार बिहार प्रशासनिक संघ के रूप में किया जाता रहा है जो उसका हिन्दी रूपान्तरण है। उपरोक्त पर इस संबंध में केन्द्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक दिनांक–14.07.2019 की कंडिका–8 में यह निर्णय लिया गया कि "बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसयेशन" निबंधित हुई है, जिसका निबंधन संख्या–633/2003–04 है। पूर्व से "बिहार प्रशासनिक सेवा संघ" के नाम से सभी कार्य हो रहे हैं। अतः "बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसयेशन" का हिन्दी रूपान्तरण "बिहार प्रशासनिक सेवा संघ" के नाम से किये जा रहे कार्यों को कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृति दी गई जिसकी सूचना निबंधक, महानिरीक्षक को देने पर विचार किया गया।" अगली आम सभा में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

1/9/19

खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
महासचिव

सुशील कुमार
अध्यक्ष

ज्ञापांक–20, दिनांक–1-9-2019

प्रतिलिपि :– केन्द्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य/विशेष आमंत्रित सभी सदस्य/आमंत्रित सदस्य/अध्यक्ष/सचिव, सभी जिला इकाई को सूचनार्थ प्रेषित।

1/9/19

खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
महासचिव